

31-5-17

पत्रावली आदि प्रमाणों के आधार पर  
 ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर 31-5-2017  
 के पत्रकारिता काव्य प्रतियोगिता के आयोजन  
 : पत्रावली का शुभाचरण पर  
 अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रमाण  
 में परिवार हस्ता की रिपोर्ट प्राप्त की  
 गयी। परिवार हस्ता की रिपोर्ट अनुसार  
 ग्राम शासकी कारणा के खेच नं 46 एकका  
 18.05 बीघा, खसरा नम्बर- 50 एकका 5.10  
 बीघा, खसरा नम्बर 49 एकका 63.04  
 बीघा ग्राम का विभाजन विवाद को  
 लेकर प्राची द्वारा एक प्रचलित पत्र <sup>प्रचलित</sup> <sub>निकल</sub>  
 किया गया था।

पत्रावली में उपलब्ध परिवार  
 हस्ता की रिपोर्ट दिनांक 31-5-2017  
 अनुसार इस प्रकार के पत्रकारिता द्वारा  
 अपनी अधिकांश से पत्रकारिता को पत्र  
 के परिवार कुनका नाम खसरा अकिले <sup>अकिले</sup> <sub>अकिले</sub>  
 एवं नकरो से लक्ष्मी नाम खसरा  
 रिपोर्ट के आधार <sup>अनुसार</sup> पत्रावली पराम बसती  
 पत्रावली अनुसार 2059 के अनुसार कम है प्रकृत  
 के पत्रकारिता में उपलब्ध विवाद प्रकृत  
 पत्रकारिता को लेकर कोई विवाद खसरा  
 तथा उत्पन्न है।

अतः उपरोक्त परिदृश्य में प्राची  
 द्वारा पत्र रिपोर्ट कानूनी थी वह वाद बटवडा  
 प्राप्त हो गई है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रकृत  
 की



राज्यक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फार ट्रेक)  
 जोधपुर

FORM NO. III  
फर्द अहकाम

(नियम 26)

लत ACEM मुकाम (FIR) 18R

बनाम ओमप्रकाश सन्

क्रमा नं. 333/17  
ACEM (FIR)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

जज  
जोषी

पोषणार्थ तारी 29 के खारिज किया गया  
है। पतावली सुधार केवल होकर हाथिल  
होकर है।

आदेश आज 31-5-2017 को  
जज काय केस कोर्ट साम फेचार्ज कांस्टीबल  
रिजुल आस रिजुल आस गमा।

[Signature]  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)  
जांघपुर

